

## तीन तलाक पर कानून

सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक झटके में दिए जाने वाले तीन तलाक को अमान्य-असंविधानिक कहर दिए जाने के बाद भी इस तरह के मनमाने तलाक के मामले सामने आने के बाद उस पर कानून बनाना आवश्यक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आने से यही प्रक्रिया हो रहा है कि तलाक की इस मनमानी प्रथा ने बहुत गर्व करें जड़े जमा ली है। निःसंदेह तीन तलाक के मामले सामने आने की एक वजह है भी है कि मुस्लिम परन्तु लॉबी और सरीखे संगठन और असदुद्दीन और सीडीजे नेता शरीयत का गलत हवाला देकर करके अपने ही समाज को गुराहग करने में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि अब उन्हें यह समझ आएगा कि वे समाज सुधार का गता नहीं रोक सकते। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई ही सकृती है कि किसी समाज का अपना ही धार्थिक और राजनीतिक नेतृत्व अपने लोगों को कुरीरियों से ज़करे रखने का काम करे? यह अच्छा हुआ कि तीन तलाक संबंधी मुरिलम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को लोकसभा में मंजूरी प्रिया गई। इससे भी अच्छा वह हुआ कि कांग्रेस ने इस विधेयक को समर्थन दिया। कांग्रेस ने इस विधेयक को समर्थन देकर एक तरह से 40 साल पुरानी अपनी भूल को सुधार लिया। अगर राजनीति गांधी के नेतृत्व से ज़करे रखने के बाद भी सामाजिक नीति नहीं आती तो शायद इस विधेयक की नीति ही नहीं आती। अगर तब वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता नहीं दी गई होती तो शायद यह मुरिलम समाज अब तक तीन तलाक की मनमानी प्रथा के साथ ही अच्छा अनेक कुरीरियों से मुक्त हो गया होता।

निःसंदेह मनमाने तीन तलाक के खिलाफ कानून बन जाने मात्र से यह सरियों पुरानी कुरीरियों से माप्त होने वाली नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि महिलाओं को असहाय बना देवा वाली कुरीरियों को खत्म करने के लिए कानून का साधारण नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि सती प्रथा, दहन की कुरीरियों और बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए गए। इन कानूनों ने इन प्रथाओं पर लगाम लगाने का काम किया तो इसपर भी कि समय के साथ दिनुपरी समाज के चरण करने के मामले में भी ही है। बेहतर हो कि इसलिए समाज के चरण करने के मामले में भी है। बेहतर हो कि इस मामले में राजनीतिक और साथ ही धार्थिक नेता सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आगे आएं। उन्हें मुस्लिम समाज की उन महिलाओं से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने तमाम मुस्लिमों के बाद भी अपने हक की आवाज बुलाई थी। इसी के साथ इस पर भी विचार होना चाहिए कि तीन तलाक के खिलाफ बनने जा रहा कानून कहीं आवश्यकता से अधिक कठोर तो नहीं और वांछित नहीं किये गए नहीं? ऐसा इसलिए, क्योंकि इस प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ जायज सवाल उठे हैं, जैसे यह कि यदि एक झटके में तीन तलाक देने वाला पति जेल भेज दिया जाएगा तो फिर पीड़ित महिला को शहर कैसे मिलेगी? बेहतर हो कि संसद की अंतर्मुख बूर्झ लगाने तक वह प्रस्तावित कानून पुराने ऐसे सवालों का सुन्दरित जवाब देने में सक्षम हो जाए।

## विधवा पेंशन की मुरिकें

जिलों में बैठे कुछ अफसर गज्ज सरकार की अच्छी मंशा पर पानी फैसले में कोई कार करने वाली नहीं छोड़ रहे। भरान-पोषण के लिए दी जानी वाली विधवा पेंशन का लक्ष्य सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह विधवा पेंशन की जिलों की जिलों के लिए बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह अफसरों की हीलाहवाली को देखते हुए सरकार ने इस योजना का लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं करा रहा है। यह तो बात रही ही आवेदन पत्रों का निस्तारण न होने की। दूसरी तरफ अब भी ऐसे हजारों पत्र हैं जो अधिकारियों के चक्कर करते लगातार आवधिकार थक हो रहे हैं।

जिलों में बैठे कुछ अफसर गज्ज सरकार की अच्छी मंशा पर पानी फैसले में कोई कार करने वाली नहीं छोड़ रहे। भरान-पोषण के लिए दी जानी वाली विधवा पेंशन का लक्ष्य सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि इससे महिलाओं की पेंशन पर संकट आ सकता है। प्रदेश भर में सवा पांच लाख आवेदन पत्र अब भी नीचेरक्षाही की परिस्थि में हैं। इसके चलते इस योजना का लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं करा रहा है। यह तो बात रही ही आवेदन पत्रों का निस्तारण न होने की। दूसरी तरफ अब भी ऐसे हजारों पत्र हैं जो अधिकारियों के चक्कर करते लगातार आवधिकार थक हो रहे हैं।

अफसरों की हीलाहवाली को देखते हुए सरकार ने इस योजना का लाभ पात्रों तक हर

हाल में पूर्णांगे को अधिकतम समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत यदि किसी कमचारी ने कोई आवेदन पत्र निस्तारित नहीं किया तो वह अपने आप ही स्वीकृति के साथ उसके आवेदन को अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन का लक्ष्य भी सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि इससे महिलाओं की पेंशन पर संकट आ सकता है। प्रदेश भर में सवा पांच लाख आवेदन पत्र अब भी नीचेरक्षाही की परिस्थि में हैं। इसके चलते इस योजना का लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं करा रहा है। यह तो बात रही ही आवेदन पत्रों का निस्तारण न होने की। दूसरी तरफ अब भी ऐसे हजारों पत्र हैं जो अधिकारियों के चक्कर करते लगातार आवधिकार थक हो रहे हैं।

जिलों में बैठे कुछ अफसर गज्ज सरकार की अच्छी मंशा पर पानी फैसले में कोई कार करने वाली नहीं छोड़ रहे। भरान-पोषण के लिए दी जानी वाली विधवा पेंशन का लक्ष्य सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि इससे महिलाओं की पेंशन पर संकट आ सकता है। प्रदेश भर में सवा पांच लाख आवेदन पत्र अब भी नीचेरक्षाही की परिस्थि में हैं। इसके चलते इस योजना का लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं करा रहा है। यह तो बात रही ही आवेदन पत्रों का निस्तारण न होने की। दूसरी तरफ अब भी ऐसे हजारों पत्र हैं जो अधिकारियों के चक्कर करते लगातार आवधिकार थक हो रहे हैं।

जिलों में बैठे कुछ अफसर गज्ज सरकार की अच्छी मंशा पर पानी फैसले में कोई कार करने वाली नहीं छोड़ रहे। भरान-पोषण के लिए दी जानी वाली विधवा पेंशन का लक्ष्य सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि इससे महिलाओं की पेंशन पर संकट आ सकता है। प्रदेश भर में सवा पांच लाख आवेदन पत्र अब भी नीचेरक्षाही की परिस्थि में हैं। इसके चलते इस योजना का लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं करा रहा है। यह तो बात रही ही आवेदन पत्रों का निस्तारण न होने की। दूसरी तरफ अब भी ऐसे हजारों पत्र हैं जो अधिकारियों के चक्कर करते लगातार आवधिकार थक हो रहे हैं।

जिलों में बैठे कुछ अफसर गज्ज सरकार की अच्छी मंशा पर पानी फैसले में कोई कार करने वाली नहीं छोड़ रहे। भरान-पोषण के लिए दी जानी वाली विधवा पेंशन का लक्ष्य सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि इससे महिलाओं की पेंशन पर संकट आ सकता है। प्रदेश भर में सवा पांच लाख आवेदन पत्र अब भी नीचेरक्षाही की परिस्थि में हैं। इसके चलते इस योजना का लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं करा रहा है। यह तो बात रही ही आवेदन पत्रों का निस्तारण न होने की। दूसरी तरफ अब भी ऐसे हजारों पत्र हैं जो अधिकारियों के चक्कर करते लगातार आवधिकार थक हो रहे हैं।

जिलों में बैठे कुछ अफसर गज्ज सरकार की अच्छी मंशा पर पानी फैसले में कोई कार करने वाली नहीं छोड़ रहे। भरान-पोषण के लिए दी जानी वाली विधवा पेंशन का लक्ष्य सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि इससे महिलाओं की पेंशन पर संकट आ सकता है। प्रदेश भर में सवा पांच लाख आवेदन पत्र अब भी नीचेरक्षाही की परिस्थि में हैं। इसके चलते इस योजना का लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं करा रहा है। यह तो बात रही ही आवेदन पत्रों का निस्तारण न होने की। दूसरी तरफ अब भी ऐसे हजारों पत्र हैं जो अधिकारियों के चक्कर करते लगातार आवधिकार थक हो रहे हैं।

जिलों में बैठे कुछ अफसर गज्ज सरकार की अच्छी मंशा पर पानी फैसले में कोई कार करने वाली नहीं छोड़ रहे। भरान-पोषण के लिए दी जानी वाली विधवा पेंशन का लक्ष्य सरकार ने 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.50 लाख तो कर दिया है लेकिन, जिलों में बैठे कुछ लापरवाह कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि इससे महिलाओं की पेंशन पर संकट आ सकता है। प्रदेश भर में सवा पांच लाख आवेदन पत्र अब भी नी